



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26734-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1103 वर्ष 2026

लोकेश गोस्वामी शाखा प्रबंधक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और 4 अन्य
.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रखर प्रकाश श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान एजीए ने अवगत कराया कि वर्तमान मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और उचित स्तर पर उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. उपरोक्त बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

6 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"